भारत COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

115

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्र0क्र0 / /2015

नि0/2668/II/15

श्री G.P. Nayak Adv. द्वारा आज दि. 18.8.15 को प्रस्तुत

18.8.15 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

स्व. चित्तराम पुत्र झल्ली यादव
वारिसान
1– गंगा राम पुत्र चित्तराम यादव,
2– अशोक पुत्र चित्तराम यादव,
3– खुशीराम पुत्र चित्तराम यादव,
4– बलराम पुत्र चित्तराम यादव,
ग्राम टीलादांत तहसील
मोहनगढ जिला टीकमगढ–आवेदकगण

विरूद्व

1– धनीराम पुत्र स्व. जयराम यादव
2– संतोष पुत्र स्व. जयराम यादव
3– मनोहर पुत्र स्व. जयराम यादव
4– सुरेश पुत्र स्व. जयराम यादव
5– स्वर्गीय राजू पुत्र जयराम यादव
बेओलाद फोत
वारिस माता पार्वती जयराम यादव
6– पार्वती पत्नि स्व. जयराम यादव
निवासी ग्राम टीलादांत
तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़
-----अनावेदकगण

18.8.15

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 – म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 294/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–8–2013 के विरूद्व)

महोदय,

(निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण)

यह कि ग्राम टीलादॉत स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 44 मिन रकबा 2.023 हैक्टर (आगे जो वादग्रस्त भूमि सम्बोधित है) के फर्जी व्यवस्थापन की प्रविष्टि खसरे में तत्कालीन पटवारी ने मृतक जयराम

//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2668-दो/2015 जिला टीकमगढ़ चित्तराम विरूद्ध धनीराम (फौत)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री जी.पी. नायक उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 294/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 22-08-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-08-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	7/1/19 (का.रीडर)

	किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 7.1.19 सदस्य	